भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3493
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण

3493. श्री मनीष जायसवाल:
श्रीमती मंजू शर्मा:
श्री नलिन सोरेन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा विशेष रूप से झारखंड में बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को रोकने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) देश भर में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए क्रियान्वित की जा रही वर्तमान योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रमों हेतु बजट आबंटन का राज्य/संघ राज्य- क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान राजस्थान में कुपोषण दर क्या रहा है;
(ङ) देश भर में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और
(च) क्या सरकार ने उक्त योजनाओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किसी को जवाबदेह बनाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (च): 15वें वित्त आयोग के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

(मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसे झारखंड सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह एक सार्वभौमिक स्वयं-चयन व्यापक योजना है जिसमें पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी लाभार्थी के लिए प्रवेश संबंधी कोई बाधा नहीं है।

मिशन पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौती का समाधान करना;
- सतत स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा में सुधार के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष पद्धतियों के माध्यम से तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, रक्ताल्पता (एनीमिया) और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के मामले में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वास्थ्यकर वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं और बच्चों में रक्ताल्पता (एनीमिया) को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाया जाने वाला राशन (टीएचआर) तैयार करने के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर

तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका इलाज करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के अंतर्गत पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करने के लिए सामुदायिक जुटाव और जागरूकता, प्रचार-प्रसार एक प्रमुख कार्यकलाप है क्योंकि अच्छी पोषण आदतों में व्यवहार में बदलाव के लिए सतत प्रयास आवश्यकता हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के माह में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

पिछले 3 वर्षों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

राजस्थान में कुपोषण संकेतकों का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

"बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण" के संबंध में श्री मनीष जायसवाल, श्रीमती मंजू शर्मा और श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3493 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण इस प्रकार है:

राशि करोड़ रुपये में

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
		जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि	जारी की गई निधि
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	19.71	3.85	12.15	7.56
2	आंध्र प्रदेश	744.60	827.79	705.68	521.79
3	अरुणाचल प्रदेश	170.83	137.78	162.06	72.28
4	असम	1319.90	1651.63	2233.31	1792.07
5	बिहार	1574.43	1740.09	1859.29	2001.73
6	चंडीगढ़	15.32	33.10	19.79	14.17
7	छत्तीसगढ़	606.73	668.96	579.46	549.31
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9.33	5.80	11.97	9.13
9	दिल्ली	133.11	182.77	161.81	151.72
10	गोवा	10.84	14.71	13.95	11.95
11	गुजरात	839.86	912.64	1126.80	308.66
12	हरियाणा	173.03	195.25	225.78	177.52
13	हिमाचल प्रदेश	247.99	270.24	301.09	245.60
14	जम्मू एवं कश्मीर	405.74	479.01	530.88	488.97
15	झारखंड	352.98	430.91	664.30	451.12
16	कर्नाटक	1003.70	765.87	912.96	823.42
17	केरल	388.23	444.98	306.64	267.67
18	लद्दाख	14.70	18.79	19.62	14.64
19	लक्षद्वीप	2.11	0.44	2.88	1.34

20	मध्य प्रदेश	1085.47	1011.57	1123.11	1144.54
21	महाराष्ट्र	1713.39	1646.17	1699.52	1334.02
22	मणिपुर	228.92	135.95	201.28	203.62
23	मेघालय	173.33	192.39	269.69	84.79
24	मिजोरम	59.32	42.81	100.27	31.27
25	नागालैंड	159.80	199.30	262.91	138.91
26	ओडिशा	1065.98	923.92	968.80	781.29
27	पुदुच्चेरी	2.78	0.12	4.48	3.68
28	पंजाब	383.52	75.31	307.87	253.84
29	राजस्थान	682.65	974.02	1091.96	736.09
30	सिक्किम	25.73	20.33	33.49	1.66
31	तमिलनाडु	655.38	766.81	880.79	526.37
32	तेलंगाना	482.33	550.69	507.87	287.94
33	त्रिपुरा	186.72	150.52	244.22	81.81
34	उत्तर प्रदेश	2407.55	2721.87	2668.69	2060.25
35	उत्तराखंड	353.65	425.84	288.24	159.10
36	पश्चिम बंगाल	668.35	1227.59	1237.56	1266.17
कुल		18368.01	19849.82	21741.17	17006.1

अनुलग्नक-II

"बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण" के संबंध में श्री मनीष जायसवाल, श्रीमती मंजू शर्मा और श्री नलिन सोरेन द्वारा दिनांक 21.03.2025 को पूछे गए लोक सभा प्रश्न संख्या 3493 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के कुपोषण संकेतकों का विवरण इस प्रकार है:

फरवरी-23			**फरवरी-24**			**फरवरी-25**		
ठिगनापन %	**दुबलापन %**	**अल्प वजन %**	**ठिगनापन %**	**दुबलापन %**	**अल्प वजन %**	**ठिगनापन %**	**दुबलापन %**	**अल्प वजन %**
34.10	11.43	20.32	37.43	7.71	17.63	38.57	6.31	18.67

****